प्रेस नोट **दिनांक 15.07.2026**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा महिला एवं बाल विकास कार्यालय, एलआईयू कार्यालय, एवं रिकॉर्ड रूम का औचक निरीक्षण-

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा पुलिस कार्यालय में स्थित महिला एवं बाल विकास कार्यालय, एलआईयू कार्यालय, तथा रिकॉर्ड रूम का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने कार्यालय की कार्यप्रणाली, अभिलेखों के रख-रखाव, गोपनीय अभिलेखों की सुरक्षा, कार्यालय की साफ-सफाई, लंबित पत्रावलियों तथा रिकॉर्ड के सुव्यवस्थित संधारण का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने अभिलेखों को व्यवस्थित एवं अद्यतन रखने, गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कार्यालयीय कार्यों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक महोदय ने कार्यालय में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयपालन, अनुशासन एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही कार्यालय परिसर में स्वच्छता बनाए रखने एवं आवश्यक अभिलेखों के नियमित सत्यापन पर विशेष बल दिया।

निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि कार्यालयों का नियमित निरीक्षण कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं दक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से किया जाता है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने की अपेक्षा व्यक्त की।

प्रेस नोट

15/07/2026

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

कार्यवाही का विवरण –

1. थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त भरत तिवारी पुत्र गोपाल तिवारी निवासी पाउस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालान किया गया।
2. थाना रानीपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त इजहार उर्फ चुन्ना नट पुत्र मखतार उर्फ मस्ताक निवासी दरौरा घुटमा थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालान किया गया।
3. थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा 05 नफर वारंटी अभियुक्तगण 1 गुफरान पुत्र मो.हनीफ निवासी सैय्यदवाड़ा थाना मु.बाद गोहना जनपद मऊ, 2. शिवबचन चौहान पुत्र झिन्नक चौहान सा.रोजा मकदूम अतरारी थाना मु.बाद गोहना जनपद मऊ, 3. राजू पासवान पुत्र केसरी पासवान निवासी अतरारी थाना मु.बाद गोहना जनपद मऊ मऊ, 4. विनोद विश्वकर्मा पुत्र सुरेन्द्र विश्वकर्मा निवासी टेकई थाना मु.बाद मऊ, 5. रमेश चन्द्र पुत्र मुनेश्वर सा.गालिबपुर थाना मु.बाद मऊ
4. थाना कोपागंज पुलिस द्वारा 04 नफर वारंटी अभियुक्तगण 1. मुमताज पुत्र सुलमान निवासी पुरानापुरा कुर्थीजाफरपुर 2. अशोक राय पुत्र लालसा राय निवासी सहरोज, 3. गोपाल राम पुत्र शिवानन्द राय निवासी सहरोज, 4. राधेश्याम यादव पुत्र रामध्यान यादव निवासी हिकमा थाना कोपागंज जनपद मऊ
5. थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्तगण, 1. महमूद आलम मो0 अकरम निवासी जमीन बुढान थाना चिरैयाकोट मऊ, 2. मनोज यादव पुत्र रामवृक्ष यादव निवासी अलीनगर थाना चिरैयाकोट मऊ को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालान किया गया।
6. थाना घोसी पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्तगण 1. दिनेश राजभर पुत्र रामअवध राजभर खैरामुहम्मदपुर थाना घोसी, 2. सीताराम राजभर पुत्र सुक्खू निवासी मूजदाड़ थाना घोसी जनपद मऊ।
7. थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त चौथी राम पुत्र स्व0 सकलदीप निवासी मुसरदा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर मा0 न्याया चालान किया गया।

02 नफर चोर गिरफ्तारी कब्जे से 01 अदद चोरी की मोबाइल व चोरी के 1410/- रूपये बरामद -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर, निर्देश में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी, मधुबन के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.07.2026 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर सिकडीकोल मोड़ से 500 मीटर आगे पुलिया मु0अ0स0 171/2026 0171/2026 धारा 305ए, 331(2) बी.एन.एस से संबंधित अभियुक्तगण 1. सत्यप्रकाश राजभर उर्फ गोलू पुत्र प्रमोद कुमार राजभर सा0 भुवालीपुर थाना मधुबन जनपद मऊ 2. पवन राजभर उर्फ पल्लू पुत्र दीपचन्द्र राजभर सा0 भुवालीपुर थाना मधुबन जनपद मऊ के कब्जे से 01 अदद मोबाईल फोन व चोरी के 1410 रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त में धारा 317(2) की बदोत्तरी कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

नाम गिरफ्तार अभियुक्त- 1. सत्यप्रकाश राजभर उर्फ गोलू पुत्र प्रमोद कुमार राजभर सा0 भुवालीपुर थाना मधुबन जनपद मऊ

2. पवन राजभर उर्फ पल्लू पुत्र दीपचन्द्र राजभर सा0 भुवालीपुर थाना मधुबन जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 171/2026 0171/2026 धारा 305ए, 331(2), 317(2), बी.एन.एस

गिरफ्तारी का स्थान व समय- सिकडीकोल मोड़ से 500 मीटर आगे पुलिया से समय करीब 11.20 बजे सुबह

बरामदगी का विवरण – 01 अदद चोरी की मोबाईल व चोरी के 1410 रू0

गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन अनुमानित कीमत लगभग 30000 /-रुपये साइबर पुलिस टीम थाना कोपागंज जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी के कुशल नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 15.07.2026 को गुम हुए 02 अदद मोबाइल फोन पीडित,1. मो0 साहिल अन्सारी निवासी वाजिदपुर थाना कोपागंज मोबाइल- पोको, साइबर क्राइम पुलिस टीम थाना कोपागंज

जनपद मऊ द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिक तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन अनुमानित कीमत लगभग 18999 /-रुपये साइबर पुलिस टीम थाना रानीपुर जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना रानीपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 15.07.2026 को गुम हुए 01 अदद मोबाइल फोन पीडित अवधेश चौहान पुत्र स्व0 बलदेव चौहान निवासी इटौरा थाना रानीपुर वीवो मोबाइल साइबर क्राइम पुलिस टीम थाना रानीपुर जनपद मऊ द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिक तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा, फ्रॉड हुए 26,222-/ रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी घोसी व थानाध्यक्ष कोपागंज के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित, सौरभ प्रताप सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी इन्दारा जनपद मऊ रुपये की 26,222 रुपये धनराशि अंजान व्यकित द्वारा फ्राड कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी । उक्त

शिकायत के आधार पर थाना कोपागंज में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 26,222 /- रुपये वापस कराया गया।

फोन के माध्यम से लाटरी व लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में साइबर अपराध के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद मऊ महोदय के कुशल निर्देशन में साइबर सेल, थाना साइबर क्राइम व थाना सरायलखंसी जनपद मऊ की गठित टीम के द्वारा NCRP PORTAL पर प्राप्त कुल 03 शिकायतों के सम्बन्ध में हॉटस्पाट लोकेशन के आधार पर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 234/26 धारा 66 डी आईटी एक्ट व बढोत्तरी धारा 318(4)/61(2)ए/111(3) बीएनएस के क्रम में इलेक्ट्रानिक साक्ष्यो के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मुकदमें में प्रकाश में आये 02 नफर शातिर अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. उदय नारायण उर्फ सुन्दर पुत्र नाथा राम निवासी ग्राम अकबरपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र करीब 25 वर्ष
2. सूर्य प्रकाश विश्वकर्मा पुत्र मैनेजर प्रसाद विश्वकर्मा निवासी अक्षार थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र 25 करीब वर्ष

अपराध का तरीका-

1. फोन के माध्यम से लाटरी व लोन दिलाने का झांसा देकर संगठित अपराध करके रुपये प्राप्त करना। इस प्रकार से अभियुक्त गण द्वारा करीब 3 पीड़ितों से फ्रॉड किया जाना पाया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 234/26 धारा 66 डी आईटी एक्ट व बढोत्तरी धारा 318(4)/61(2)ए/111(3) बीएनएस थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।

बरामदगी का विवरण-

1. 02 अदद एन्ड्रायड मोबाईल फोन।

गुम/खोये हुए कुल 03 अदद मोबाइल फोन अनुमानित कीमत लगभग 46000 /-रुपये साइबर पुलिस टीम थाना मधुबन जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी के कुशल नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 15.07.2026 को गुम हुए 0 अदद मोबाइल फोन पीडित,1. अमित कुमार, 2. भरत पुत्र श्याम विहारी, 3. श्याम शंकर उर्फ महेन्द्र पुत्र स्व0 रघ्घु यादव की मोबाइल, साइबर क्राइम पुलिस टीम थाना मधुबन जनपद मऊ द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिको तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।